Form No. III

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम फतेहपुर

ललिता देवी बनाम भगवानाराम आदि

मुकदमा – राजस्व प्रार्थना–पत्र मु0संख्या 16/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2019	वकील प्रार्थी हाजिर। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की अंतरिम स्थगन पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम डाबड़ी की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 234 कुल रकबा 1.5400है0, खसरा नम्बर 351 रकबा 1.1700है0 कुल किता 2 रकबा 2.7100है0 के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.07.2019 तक बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 10.07.2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)	1917-1932 13/6/19
10/07/19	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 2 ता 6 को आवाज दिलायी गयी। जो हाजिर नहीं है। संलग्न तामील का अवलोकन किया गया। तामील सम्यक रूप से हो चुकी है। अतः अप्रार्थी सं. 2 ता 6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते बहस प्रा० पत्र पत्रावली दिनांक 21/08/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर [illegible]	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

/08/19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना-पत्र मे संबंधि[illegible]
मूल वाद खारिज किया जा चुका है। अत:
प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही
मूल वाद के संलग्न हो।

(रेखु [illegible] मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर [illegible]